तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3331 / 2006 / भरतपुर** **धनीराम बनमा यादराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जे0के0पारीक, अभिभाषक प्रार्थी
श्री हगामीलाल चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण

——

निर्णय

दिनांकः— 18.03.2026

यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा वाद संख्या 28 / 2004 बउनवानी यादराम बनाम धनीराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.05.2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या संख्या 1 लगायत 4 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थीगण संख्या य5 लगायत 7 के विरूद्ध पेश किया । वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 / वादीगण ने दिनांक 05.04.2005 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2014 के द्वारा स्वीकार किया । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण बहस सुनी गई ।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.05.2006 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार एवं कारण के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3331 / 2006 / भरतपुर** **धनीराम बनमा यादराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रावधित प्रावधानों के विपरीत स्वीकार करने में त्रुटि की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 द्वारा दावा प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 05.04.2005 को संशोधन का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें वसीयत के संबंध में दादरसी चाही थी जिससे दावे की प्रकृति पूर्णतया बदल जाती है तथा दावा एकदम नये तथ्यों के आधार पर हो जाता था । ऐसी स्थिति में आदेश 6 नियम 17 को स्वीकार कर वाद में संशोधन की अनुमति प्रदान करने में त्रुटि कारित की है । अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह संशोधन चाहा था कि उसके पक्ष में दिनांक 23.10.2002 को उसके पिता जगराम ने वसीयत की है जिसका पंजीयन दिनांक 31.12.2004 को कराया गया है, इसलिये इस वसीयत के आधार पर वादीगण अकेले समभाग के खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित है । उक्त वसीयत के आधार पर वादीगण ने विवादित आराजी को मृतक जगराम से समभाग उत्तराधिकार में प्राप्त किया है इसलिये वसीयत के आधार पर वादीगण के पक्ष में खातेदारी की घोषणा प्रदान की जावे जबकि वादीगण ने इसके पूर्व जो वाद प्रस्तुत किया था वह अलग आधार पर प्रस्तुत किया था । इसलिये संशोधन का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य था । अधी0न्याया0 ने इसके बावजूद प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 निरस्त किया जावे । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । वादीगण / अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता जगराम द्वारा वसीयत वादीगण के पक्ष में दिनांक 23.10.2002 को निष्पादित की गई थी जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी । तत्पश्चात् वादीगण की माता ने उक्त वसीयत वादीगण को दी जिस पर वादीगण द्वारा दिनांक 31.02.2004 को सब रजिस्ट्रार, तृतीय नई दिल्ली में पंजीयन करवाया था ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3331 / 2006 / भरतपुर** **धनीराम बनमा यादराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसलिये उक्त वसीयत के संबंध में वादपत्र में अभिवचन लिया जाना आवश्यक है । उक्त वसीयत से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे । हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादीगण के पिता मृतक जगराम द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 23.10.2002 को वसीयत निष्पादित की गई थी जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी । उक्त वसीयत जगराम की मृत्यु उपरांत उनकी माता द्वारा दिये जाने पर जानकारी हुई जिस पर उनके द्वारा उक्त वसीयत का पंजीयन भी करवाया गया है । किन्तु वाद प्रस्तुत करते समय उक्त वसीयत की जानकारी नहीं होने से उक्त वसीयत के संबंध में वादपत्र में अभिवचन नहीं लिये जा सके थे । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान की जावे । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 स्वीकार कर वादपत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान की है । इस संबंध में हमने आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का अवलोकन किया जिसमें यह प्रावधित किया हुआ है कि– आदेश 6 निमय 17– **अभिवचन का संशोधन–न्यायालय दोनों में से किसी भी पखकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधन किए जायेगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो । परन्तु विचारण प्रारंभ हो जाने के पश्चात् संशोधन के लिए कोई**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3331 / 2006 / भरतपुर** **धनीराम बनमा यादराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवेदन पत्र तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक न्यायालय इस निर्ष्ष पर नहीं पहुंचता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व मामलें को नहीं उठा सकता था ।''

चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पक्ष में मृतक खातेदार द्वारा विवादित आराजियात की वसीयत निष्पादित की गई थी जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी, तत्पश्चात् जानकारी मिलने पर वादीगण द्वारा उक्त वसीयत का पंजीयन करवाया जाकर उक्त वसीयत के आधार पर वादपत्र में संशोधन चाहा गया है । उक्त वसीयत के आधार पर वाद में संशोधन वादग्रस्त आराजियात के संबंध में वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिए आवश्यक है । ऐसे संशोधन की अनुमति वाद के किसी भी प्रक्रम में दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति किस प्रकार बदल रही है । वादीगण ने जो संशोधन पेश किये है उस संबंध में तनकी कायम कर विधिवत् साक्ष्योपरांत निर्णय किया जावेगा । प्रार्थीगण संशोधित वादपत्र का जवाब पेश करने हेतु स्वतंत्र है । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 निमय 17 जा0दी0 स्वीकार किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–05–2006 यथावत् रखा जाता है ।

तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य